के.एल.जौहर और कंपनी

वी.

लोक वाणिज्यिक कर अधिकारी

10 नवम्बर,1964

(पी. बी. गजेन्द्रगडकर,सी.जे., के.एन. वांचू, एम.ह्दयतुल्ला, रघुबर दयाल और जे.आर. मुधेलकर,जे.जे.)

1939 का मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम 9,स्पष्टीकरण 1 से धारा 2(ज)-- किराया -खरीद लेनदेन विक्रय शब्द में शामिल - स्पष्टीकरण की वैधता कर के उद्देश्यों के लिए वाहनों की कीमत कैसे तय की जाए- बिक्री कब पूर्ण होगा।

अपीलार्थी मोटर वाहनों में किराया -खरीद व्यवसाय करता था । कारोबार का कर्म यह था कि वाहन की कीमत अपीलार्थी द्वारा मोटर विक्रेता को भुगतान किया जाएगा । और वाहन इच्छुक खरीदार को किराए पर दिया जाएगा। बाद वाले को किराए की राशि किश्तों में अदा करनी थी और जब सारी किस्त का भुगतान समझौते के अनुसार हो जाता हे तो वह एक रूपया का अन्तिम भुगतान कर वाहन को क्रय किये जाने के विकल्प का प्रयोग करेगा । किराया -खरीद वाहन अपीलार्थी के स्वामित्व में रहेगा ।

मद्रास में बिक्री कर अधिकारियों ने अपीलार्थी पर मूल्यांकन वर्ष 1955-56 और 1untitled folder956-57 के लिए बिक्री कर लगाया। मद्रास सामान्य बिक्रय टैक्स अधिनियम 1939 की धारा 2(h)के स्पष्टीकरण के तहत किराया-खरीद संव्यवहार को विक्रय संव्यवहार माना जाता है मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की रिट याचिका जो इस निर्धारण को चुनौती देती थी वह विफल हो गयी । किन्तु सुप्रीम कोर्ट में अपील प्रस्तुत किए जाने बाबत् योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किया गया ।

अपीलकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि 1-वर्तमान मामलें में वाहन डीलuntitled folderर एवं वाहन के इच्छुक क्रेता के मध्य एक विक्रय वास्तव में अपीलकत्र्ता केवल मात्र वित्तीय एजेन्ट था । वित्तीय एजेन्ट एवं इच्छुक क्रेता के मध्य विक्रय का संव्यवहार था । 2- अधि0 के धारा 2(h के स्पष्टीकरण । जिसमें कि किराया -क्रय करार को 'विक्रय' में शामिल किया है अधिकार से बाह्य है 3- किसी भी मामले में विक्रय तब हुआ माना जायेगा जबकि किरायेदार द्वारा एक रूपये का भुगतान कर खरीद के विकल्प का प्रयोग किया जाये । जो कि 'विकल्प का प्रयाग किया जाये जो कि 'विक्रय'कि कीमत मानी जानी चाहिये ।

अभिनिर्धारित -किराया क्रय करार के विभिन्न शब्द दर्शते है कि अपीलार्थी करार कि अवधी के दौरान वाहन का स्वामी बना रहा । इसलिये

यह नही कहा जा सकता कि अपीलार्थी केवल मात्र वित्तीयक था वास्तविक संव्यवहार मोहर डीलर एवं इच्छुक क्रेता के मध्य था । वास्तव में दो विक्रय थे एक अपीलार्थी एवं डीलर के मध्य और दूसरा अपीलार्थी एवं उस व्यक्ति के मध्य जो वाहन को खरीदना चाहता था । अधि० के अनुसार प्रासंगिक समय में बहु- बिन्दू बिक्रय कर लगाया जा सकता था । जारू के लिये यह खुला था दोनो 'बिक्री पर कर लगाये । (121 B-C)

2- राज्य विधानमंडल जब भारत सरकार अधिनियम 1935 कि सातवी अनुसूची की सूची की परिशिष्ट 48 या संविधान कि सातंवी अनुसूची की सूची 11 की परिशिष्ट 54 के तहत विधान बनाने के लिये आगे बढता हे तब माल विक्रय अधिनियम के तहत परिभाषित 'विक्रय' पर कर लगता है ।विक्रय कर अधिकारी बनाम श्री बुद्वप्रकाश जय प्रकाश (1955) एस0सी0 आर0 और मद्रास सरकार बनाम गेनन डंकरले और कम्पनी (1959)एस0सी आर 379

माल विक्रय अधिनियम के तहत सशत्र्त क्रिय को छोडकर 'विक्रय'का आवश्यक तत्व है कि सम्पत्ति क्रेता से विक्रेता के पास चली जाये । किराया - क्रय करार सशर्त विक्रय नही है । (124 A-B)

इसलिये राज्य विधायिक द्वारा बनाया गया विधायन जो एक करार या संव्यवहार जिसमें संम्पत्ति क्रेता से विक्रेता को अन्तरित नही होती

'विक्रय' बनाता है उसकी विधायि सक्षमता से परे है । (124B)

क्या स्पष्टीकरण 1 यह उपंबधित करता है कि किराया क्रय करार को इस तथ्य के बावजूद विक्रय माना जयेगा कि ऐसे करार के समय सम्पत्ति क्रेता से विक्रेता के पास नही जाती है । इसलिये स्पष्टीकरण 1 राज्य विधायिका कि विधायी सक्षमता के बाहर है इसलिये इसे 'अवैध'निर्धारित किया जाना चाहिये । (124 B-C)

एक किराया -क्रय करार के दो तत्व होते है (1)इंपसउमदज और (2) विक्रय के तत्व इस अर्थ में कि यह अतंतः विक्रय पर विचार करता है विक्रय का तत्व तब फलित होता है जब इच्छुक क्रेता द्वारा करार कि शर्त्तो को पूर्ण करके विकल्प का प्रयोग किया जाता है जब समझौते की सभी शर्त्तें पूरी हो जाती है और विकल्प का प्रयोग किया जाता हे तो उस माल की बिक्री होती है जो तब तक किराए पर लिया गया था । जब ऐसी 'बिक्री होती है तो यह अधिनियम के तरत बिक्री कर हेतु उत्तरदायी हे । चूकि कर योग्य घटना माल का विक्रय है कर तभी लगाया जा सकता है । जब किराया - क्रय करार की सभी शर्तो कि पालना कर दी गयी हो । कर उस समय नही मांगा जा सकता जब किराया कर करार तो बन गया हो लेकिन कर घटना नहीं हुयी हो । (124 H.124 E)

4- हांलाकि करार कि शर्त्तों के अनुसार वाहन को एक रूपये में

खरीदा गया था - यह महना बेतुका होगा कि वह वो कीमत थी जिस पर वाहन बेचा गया था । यह कहना गलत होगा कि किश्तों में भुगतान कि गई सम्पूर्ण किराया रकम व एक रूपया का अन्तिम भुगतान, विक्रय मूल्य का गठन करते है । विक्री कर अधिकारियों द्वारा मल्य का निर्धारण किराया- खरीद करार कि दिंनाॅक एवं खरीद के अन्तिम विकल्प के प्रयोग के दौरान वाहन के मूल्य ह्ास (कमी) को ध्यान में रखने हुये सही व युक्तियुक्त तरीके से किया जाना चाहिये ।

सिविल, अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1963 की सिविल अपील संख्या 245,246

1957 की रिट याचिका संख्या 500 और 671 में मद्रास उच्च न्यायालय के 17 जनवरी, 1958 के फैसल और आदेश के खिलाफ अपील।

अपीलकर्ताओं के लिए (दोनो अपीलों में) एवी विश्वनाथ शास्त्री , बीआरएल अंयगर, बीडी धवन, एसके मेहता और केएल मेहता,

प्रतिवादी (दोनों अपीलों में) और हस्तक्षेपकर्ता नंबर 6 के लिए ए. रंगाानाधम चेट्टी, वी. रामास्वामी और एवी रंगम। हस्तक्षेपकर्ता नंबर 1 के लिए एसवी गुप्ते, साॅलिस्टिर- जनरल और बीआरजी के अचार ।

हस्ताक्षेपकर्ता नंबर 2 के लिए बीवी सुब्रमण्यम, महाधिवक्ता, आंध्रप्रदेश और बीआरजी के आचार।

नैनीत लाल, हस्तक्षेपकर्ता संख्या 3 के लिए ।

हस्तक्षेपकर्ता संख्या 4 के लिए वीपी गोपालन नांबियार,

महाधिवक्ता, केरल, वीए सैयद मुहम्मद। , हस्तक्षेपकर्ता संख्या 5 के लिए एम. अधिकारी , महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश और आईएन श्रा ॅफ।

आरएन सचथे, हस्तक्षेपकर्ता संख्या 7 के लिए ।

सीबी अग्रवाल और O. पी. राणा , हस्तक्षेपकर्ता संख्या 8 के लिए ।

न्यायालय का निर्णय वांचू जे द्वारा दिया गया ।

ये दो अपीले मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र एवं उठाये गये समान प्रश्न के कारण एक साथ निस्तारित कि जायेगी । अपीलार्थी एक वित्तीय कम्पनी है जिसमें कई भागीदार है। इसका मुख्य व्यवसाय उन व्यक्तियों को अन्तिम धन देना है जो मोटर वाहन खरीदना चाहते हैं लेकिन स्वयं उसका मूल्य नहीं दे सकते । अपीलार्थी द्वारा अपने व्यवसाय कि प्रक्रिया में जो व्यक्ति मोटर वाहन खरीदना चाहते है उनसे किराया - क्रय करार किया जाता था । यहा ॅ किराया- क्रय करार कि शर्तो

को समझना अपाश्यक हे जो कि एक निश्चित निर्दिष्ट प्रारूप मे है जो कि अपील में उठायी गयी है ।

कोई व्यक्ति जो कि मोटर वाहन खरीदने का इच्छुक था मोटर डीलर से वाहन का चयन कर उसका प्रकार व मूल्य निर्धारित चयन कर उसका प्रकार व मूल्य निर्धारित करता है । उसके बाद ऐसा व्यक्ति अपीलार्थी से किराया - क्रय आधार पर वित्तीय सहायता हेतु सम्पर्क करता है । कई बार प्रारम्भिक राशि कि अदायगी मोटर डीलर को भी जाती है जो कि किराया - क्रय करार के समय ध्यान में रखी जाती है । अन्य दशा में अपीलार्थी को कई किश्तों में राशि की अदायगी कि जाती है । दोनो ही मामलों में अपीलार्थी द्वारा डीलर को मूल्य या शेष कि अदायगी की जाती है और उसके बाद किराया क्रय करार अपीलार्थी एवं मोटर वाहन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति के मध्य होता है करार के अन्तर्गत अपीलार्थी को वाहन का स्वामी एवं जो व्ययक्ति वाहन खरीदना चाहता है उसे किरायेदार कहा जाता है ।

करार की आवश्यक शर्तों को यहाॅं संक्षिप्त किया जा रहा है । करार में प्रावधान है कि मालिक (अर्थात् अपीलकत्र्ता) किराये पर देगा और किरायेदार (अर्थात वह व्यक्ति जो वाहन खरीदना चाहता हे) प्रत्येक मामले में निर्धारित की जाने वाली अवधि के लिए वाहन किराये पर लेगा ।

(क्लाज-1)किरायेदार को मालिक को प्रति माह एक निश्चित राशि का भुगतान करना पडता है और जहांं प्रारम्भिक जमा किया जाता है ।यह राशि पहले महीने के लिए अधिक होती है और अन्य मासिक वेतन कम होते है । अवक्रेता को किराया की अवधि के दौरान मासिक किस्त का भुगतान करना पडता है , वाहन मालिक के नाम पर पंजीकृत होता है और अवक्रेता को मालिक जौहर एण्ड कम्पनी के रूप में खुद का प्रतिनिधित्व करने से मना किया जाता है ।

किराये पर लेने वाले को मालिक की संतुष्टि के लिए वाहन को अच्छी और सेवा योग्य मरम्मत, क्रम और स्थिति में रखना होगा , और उसे आग, दुर्घटना और तीसरे पक्ष के जोखिमों से होने वाली हानि या क्षति के खिलाफ वाहन का बीमा भी कराना होगा और समय पर प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और ऐसे बीमा के संबंध में देय सभी धनराशिः(सीएल 3 देखे)। किरायेदार को वाहन के संबंध में देय सभी कर , लाइसेंस, शुल्क, शुल्क, जुर्माना, पंजीकरण शुल्क और अन्य शुल्क और उस परिसर के संबंध में किराएदार द्वारा देय सभी किराए और व्यय का भुगतान करना होगा जहां वाहन रखा जाता है या गैरेज में रखा जाता है । वही क्रमशः देय हो जाता है: (सीएल देखें। 3 इ)उसे उपरोक्त सभी कार्य विधिवत किए जाने के बारे में मालिक को संतुष्ट भी करना होगा । वह वाहन को बेच नहीं

सकता , चार्ज नहीं कर सकता, गिरवी नहीं रख सकता , सौंप नहीं सकता या उसे अपने कब्जे में नही ले सकता(सीएल) 3 (जी)किराए पर लेने वाले को वाहन की सी क्षतियों की भरपाई करनी होगी (उचित टूट- फूट को छोडकर)और कुल नुकसान की स्थिति में मालिक को वाहन का पूरा मूल्य भुगतान करना होगा , चाहे क्षति या हानि दुर्घटनावश या अन्यथा हुई हो और वाहन को अपने पास रखना होगाा जब तक किराये वाला वाहन खरीद नहीं लेता या उसे मालिक को वापस नहीं कर देता , तब तक वाहन केवल किराये पर लेने वाले के जोखित पर है: (सीएल.5)।

यदि कियारे पर लेने वाला सात दिनों के लिए किसी भी किराए के भुगतान में चूक करता है तो किराये पर तुरत निर्णय लिया जाता हे और मालिक बिना किसी सूचना के वाहन का कब्जा वापस ले सकता है और मालिक के पास ऐसी शर्तो पर अनुंबध को बहाल करने का विकल्प होगा। जैसा कि उपर कहा गया है , नियुक्ति के निर्धारण के बाद उचित समझा जाएगा: (सीएल.14)। उपर्युक्त के अनुसार किराए के निर्धारण पर , निर्धारण की तारीख तक किराए के सभी बकाया और समझौते द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग मालिक द्वारा किए गए सभी लागत और खर्चो का भुगतान किराये वाले द्वारा किया जाएगा, और किराये वाले को नहीं दिया जाएगा। पहले भुगतान की गई किसी भी राशि के पुनर्भुगतान का हकदार है और ऐसे

सभी किराए और रकम पूरी तरह से मालिक के होंगे: (सीएल 15)। किराये पर लेने वाला किसी भी समय मालिक को वाहन सौंपकर और ऐसी डिलीवरी की तारीख तक देय वर्तमान किराए का कुछ हिस्सा और अन्य सभी रकम, यदि कोई हो, जो उस तारीख तक किराये पर लेने वाले के पास हो, का भुगतान करके किराया निर्धारित कर सकता है। समझौते के तहत मालिक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनें:(सीएल.18)। सी.एल समझौते का 20, जो हमारे उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण है, इस प्रकार हैः-

''यदि किराये पर लेने वाला इसमें निहित सभी शर्तो और शर्तो का विधिवत पालन करेगा और पालन करेगा और अपनी ओर से पालन करने और पालन करने के लिए मालिक को किराये की अवधि के दौरान आरक्षित सभी किराए के साथ-साथ अन्य सभी रकम, यदि कोई देय हो , का भुगतान करेगा। इस समझौते के प्रावधानों के तहत उसके द्वारा मालिक को, फिर और किराये की समाप्ति पर किराये पर लेने वाला मालिक से 1/- रूपये की राशि में वाहन खरीद सकता है।''

खंड 21 में यह प्रावधान है कि किराये पर लेने वाला किसी भी समय किराये का निर्धारण कर सकता है और मालिक को ऐसी राशि का भुगतान करके वाहन का खरीदार बन सकता है, जो पहले भुगतान की गई राशि के साथ -साथ सभी रकम के साथ किराए के रूप में देय कुल राशि होगी ।

(यदि कोई हो) मालिक को देय होगा और इसके अतिरिक्त एक रूपये की राशि । 1/-खंड 22 में प्रावधान है कि ''यदि किराये पर लेने वाला इसमें निहित शर्तो और शर्तो का पालन करने में विफल रहता है और अंतिम पूर्ववर्ती खंड के प्रावधानों के अनुसार वाहन खरीदने के विकल्प का उपयोग करने में विफल रहता है, और वाहन मालिक को वापस नहीं किया जाता है किराये की समाप्ति पर, किराये वाले को मालिक को हर महीने एक निश्चित राशि का भुगतान करना होगा जब तक कि वाहन को किराये वाले द्वारा मालिक को वाहन नहीं सौंप दिया जाता है । खंड 23 में प्रावधान हे कि जब तक वाहन समझौते के प्रावधानों के तहत किराएदार की संपति नहीं बन जात, तब तक यह मालिक की पूर्ण संपति बनी रहेगी , और किराएदार के पास किराएदार के अलावा कोई अधिकार या हित नहीं होगा । समझौता । समझौता: असाइन करने योग्न नहीं है: (सीएल.24)। समझौते के अन्य खंडों का उल्लेख करना अनावश्यक है क्योंकि वे हमारे उद्देश्यों के लिए सारहीन हैं । इस तरह का समझौता हो जाने के बाद, किराये पर लेने वाला वाहन पर कब्जा कर लेता है ओर यदि इसकी सभी शर्ते पूरी हो जाती हे , तो किरये पर लेने वाला एक रूपये का भुगतान करने के बाद वाहन खरीदने के विकल्प का उपयोग करनपे पर वाहन का मालिक बन जाता हे । 1/- बकाया किश्तों सहित, यदि कोई हो ।

अपीलकर्ता ने फरवरी 1955 में व्यवसाय शुरू किया और इस तरह के व्यवसाय के दौरान नए और सेकेंड- हैंड मोटर वाहनों से संबंधित कई किरया- खरीद समझौते किए । 28 अप्रेल,1956 को, अपीलकर्ता ने सहायत वाणिज्यिक कर अध्किारी , कोयंबटूर को एक रिटर्न प्रस्तुत किया । जिसमें बिक्री कर के प्रयोजनों के लिए रूपये का करोबार दिखाया गया था । वर्ष 1955-56 के लिए 2,37,993/-रू अपीलकर्ता ने मोटर वाहन किराए पर लेने वालों से उनके लेनदेन पर बिक्री कर के बराबर राशि भी एकत्र की थी (हांलाकि अब यह दावा किया गया हे कि यह गलती से किया गया था) और उन राशियों को सस्पेंस खाते में रखा गया था । हांलाकि , किराएदारों ने इस आधार पर इस राशि की वापसी का दावा करना शुरू कर दिया कि किराया - खरीद समझौते' ' , जैसा कि मद्रास जनरल सेल्सटैक्स अधिनियम ,1939 की संख्या 9,(इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित)में परिभाषित कियागया हेै।)लेकिन सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ने अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और उसके भुगतान के लिए निर्धारित किश्तों के आधार पर अनंतिम मूल्यांकन किया । अपीलकर्ताने किस्तों का भुगतान किया, लेकिन मुख्य रूप से इस आधार पर मूल्यांकन पर आपत्ति जताते हुए वाणिज्यिक कर अधिकारी के समक्ष संशोधन को प्राथमिकता दी कि किराया - खरीद समझौते अधिनियम के तहत कर के लिए उत्तरदायी बिक्री के लेनदेन नही थे । हांलाॅकि, संशोधन

को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि अनंतिम मूल्यांकन में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं थी-

उस चरण में उल्लेख करें. बाद में , उप वाणिज्यिक कर अधिकारी ने वर्ष 1955-56 से संबंधित मूल्यांकन का अंतिम आदेश पारित किया जिसमें कहा गया कि किराया - खरीद लेनदेन बिक्री ,कर अधीन थे और इस आपत्ति को खारिज कर दिया कि लेनदेन केवल वित्तपोषण की एक प्रणाली थी । , बिक्री नहीं । अपीलकर्ता ने एक को प्राथमिकता दी, वर्ष 1955-56 के निर्धारण आदेश के विरूद्व वाणिज्यिक कर अधिकारी के पास अपील । कहा जाता है कि उस अपील पर सुनवाई हो चुकी थी लेकिन उस पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया था, जब 29 जून 1957 को उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गई थी । इस बीच वर्ष 1956-57 के लिए अनंतिम मूल्यांकन किया गया था और अपीलकर्ता उस राशि का भुगतान करने के लिए भी दबाब डाला जा रहा है । परिणामस्वरूप अपीलकर्ता ने 29 जून,1957 कोएक रिट याचिका दायर की जिसमें वर्ष 1956-57 के संबंध में अनंतिम मूल्यांकन को चुनौती दी गई । बाद में उन्होनें 18 अगस्त ,1957 को एक और रिट याचिका दायर की, जिसमें वर्ष 1955-56 के अंतिम मूल्यांकन को चुनौती दी गई ।

दोनो रिट याचिकाओं मे अपीलकर्ता का मुख्य तर्क यह था कि

किराया खरीद लेनदेन के संबंध में बिक्री कर लगाना स्पष्टीकरण 1 से एस के रूप में अवैध और असंवैधानिक था। ''बिक्री को परिभाषित करने वाला अधिनियम का 2 (एच) राज्य विधायिका की क्षमता से परे था । स्पष्टीकरण इन शब्दों मेें है:-

''किराया -खरीद या भुगतान की अन्य किस्त प्रणाली पर माल हस्तांतरण, इस तथ्य के बावजूद कि विक्रेता कीमत के भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में माल में शीर्षक बरकरार रखता है , बिक्री माना जाएगा। ''

अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि यह ''बिक्री '' शब्द के अर्थ का विस्तार है जैसा कि संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 2 की प्रविष्टि 54 और भारत सरकार अधिनियम 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची (एच) की प्रविष्टी 48 में उपयोग किया गया है । भारतीय माल बिक्री अधिनियम , 1930 की संख्या 3 में इसके अर्थ से परे । इसलिए राज्य विधयिका उन लेनदेन के संबंध में कर लगाने की शक्ति का दावा नहीं कर सकती है जो रूप और सार में बिक्री का कठन नहीं करते हैं जैसा कि समझा गया है केवल एक विस्तृत परिभाषा को अपनाकर भारतीय माल बिक्री अधिनियम । इसलिए राज्य विधायिका के लिए स्पष्टीकरण अधिनियमित करना अक्षम था

1. यदि स्प्ष्टीकरण विधायिका की अक्षमता के कारण होता है, तो

कला के मद्देनजर किराया - खरीद लेनदेन पर कोई बिक्री कर नहीं लगाया जा सकता है। संवधिान के अनुच्छेद 265 में कहा गया है ''कानून के अधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या एकत्र नहीं किया जाएगा ।

किराया- खरीद समझौतों से संबंधित एक ही तरह की कई अन्य रिट याचिकाओं के साथ इन दो रिट याचिकाओं पर

उच्च न्यायालय ने एक साथ सुनवाई की । पहला प्रश्न जिस पर उच्च न्यायालय ने खुद को संबोधित किया वह यह था कि क्या मामले में दो बिक्री हुई थी या केवल एक बिक्री थी , अपीलकर्ता की ओर से तर्क के लिए, जाहिर तौर पर यह था कि डीलर द्वारा उस व्यक्ति को केवल एक बिक्री की गई थी जो चहाता था मोटरवाहन खरीदेें और अपीलकर्ता ऐसे व्यक्ति का केवल एक वित्तपोषण एजेंट था । हालाॅकि, उच्च न्यायालय ने माना कि इन मामलों में दो बिक्री हुई, पहली बिक्री मोटर डीलर द्वारा अपीलकर्ता को और दूसरी अपीलकर्ता द्वारा उस व्यक्ति को जो मोटर वाहन खरीदना चाहता था । इस प्रकार इस प्रक्रिया में वाहन की दो अलग - अलग बिक्री शामिल थीं, जिसके द्वारा वाहन की संपति डीलर से उस व्यक्ति के पास चली कई जो इसे खरीदना चाहता था । ऐसा प्रतीत होता है कि पास चली गई जो इसे खरीदना चाहता था। ऐसा प्रतीत होता है कि डीलर द्वारा बिक्री पर बिक्री कर का भुगतान किया गया था और अपीलकर्ता का

तर्क यह था कि वह सभी कर था जिसके अधीन लेनदेन किया जा सकता था । हा ॅलांकि उच्च न्यायालय ने माना कि चू ॅकि लेन-देन में दो बिक्री शामिल थीं और अधिनियम बिक्री पर मल्टीप्वाइंट टैक्स लगाता है, इसलिए जब अपीलकर्ता ने इच्छुक खरीदार को वाहन बेचा तो कर फिर से लगाया जा सकता है ।

उच्च न्यायालय ने वर्तमान मामले में समझौते के विशेष संदर्भ में, किराया - खरीद समझौतों की प्रकृति पर विचार किया और माना कि इस तरह के किराया - खरीद समझौते में दो तत्व होते हैं,एक जमानत और दूसरा बिक्री, और इसे खारिज कर दिया । अपीलकर्ता का तर्क है कि इस तरह के किराया-खरीद समझौते जमानत से जुडे किराये के समझौते से ज्यादा कुछ नहीं थे । यह मानते हुए कि इस प्रकार के किराया - खरीद समझौते में दो तत्व शामिल थे जो वास्तविक थे (यानी जमानत का तत्व और बिक्री का तत्व), अगला सवाल जिस पर उच्च न्यायालय ने खुद को संबेाधित किया वह यह था कि क्या अपीलकर्ता पर कर दायित्व तुरंत तय किया जा सकता है इसने किराया - खरीद के समझौते में प्रवेश किया या क्या कर केवल संवैधानिक और कानूनी रूप से तब लगाया जा सकता है जब इच्छुक खरीदार ने विकल्प का प्रयोग किया था जिसके परिणामस्वरूप वाहन में संपत्ति का हस्तांतरण ऐसे व्यक्ति को हुआ। उच्च न्यायालय ने

माना कि इस प्रकृति के अध्किांश लेनदेन में इच्छुक खरीदार किश्तों का भुगतान करता है और विकल्प का उपयोग करता है और इस प्रकार वाहन का स्वामित्व प्राप्त करता है । लेकिन ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां ऐसा व्यक्ति किश्तों का भुगतान करके वाहन का मालिकाना हक प्राप्त करने में असमर्थ हो सकता है । ऐसे मामले में संपत्ति अपीलकर्ता के पास रहेगी और जमानत तत्व ही एकमात्र तत्व होगा, खरीदने के विकल्प का प्रयोग नही किया जाएगा। मामलों के इस बाद वाले वर्ग में, कोई बिक्री नहीं होगी, हालांकि खरीद का विकल्प देने वाला एक समझौता था जो अपने आप में बिक्री के बराबर नहीं होगा । उच्च न्यायालय के विचार में ऐसे लेनदेन को धारा के चार्जिग प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता है। इसलिए न्यायालय ने स्पष्टीकरण 1 से एस तक माना । अधिनियम के 2(एच)में केवल उन किराया- खरीद समझौतों को संदर्भित किया गया है जो बिक्री में फलित होते हैं, न कि उन लोगों के लिए जो नहीं होते हैं, और मामले के इस दृष्टिकोण में स्पष्टीकरण की वैधता को बरकरार रखा गया है ।

उच्च न्यायालय ने तब विचार किया कि उन मामलों में भी कर कब लगाया जाना चाहिए जो बिक्री में फलित होते हैं । यह माना गया कि जहां किराया- खरीद समझौता फलीभूत होता है और बिक्री में परिणत होता है, वहां किराया- खरीद समझौता होने पर भी कर लगाए जाने के रास्ते में

कोई बाधा नहीं हो सकती है। उच्च न्यायालय ने तब इस प्रश्न पर विचार किया कि अंततः होने वाली बिक्री के लिए प्रतिफल् की मात्रा क्या होगी, और माना कि भुगतान की गई सभी किश्तों का योग बिक्री मूल्य बनाता है, हालांकि उन्हें किराये की किस्तों के रूप में नामित किया गया था ।

उच्च न्यायालय ने अपने निष्कर्ष को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया: (1) कि अपीलकर्ता द्वारा किया गया किराया- खरीद का लेनदेन बिक्री का कठन करता है, जिससे वह अपने टर्नओवर पर बिक्री कर के लिए उत्तरदायी हो जाता है, सिवाय उन मामलों को छोडकर जहां अपीलकर्ता की ओर से डिफाॅल्ट के कारण भाडे की किश्तों के भुगतान में किराये पर लेने पर , वाहन अपीलकर्ता द्वारा जब्त कर लिया जाता है और इसलिए इच्छुक खरीददार को कोई स्वामित्व नहीं मिलता है ।

(2) किराया- खरीद के इन लेनदेन को उनके मुख्य इरादे और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, उस समय बिक्री के रूप में माना जा सकता है जब समझौते में प्रवेश किया गया था, टर्नओवर के ऐसे हिस्से को समाप्त करके समायोजन के अधीन जहां कोई बिक्री नहीं हुई;

(3) अपीलकर्ता के टर्नओवर की गणना के उद्देश्य से, किश्तों में भुगतान किए जाने वाले निर्धारित किराये की कुल राशि को बिक्री के लिए कीमत या विचार के रूप में माना जाना चाहिए।

इस दृष्टिकोण पर उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को खरिज कर दिया। इसके बाद अपीकर्ता ने प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन किया जो प्रदान कर दिए गए, और इस तरह ये मामाला हमारे सामने आया है,

मामला पहली बाद 31 अगस्त 1964 को हमारे सामने सुनवाई के लिए आया था। तब यह दर्शाया गया था कि स्पष्टीकरण 1 से लेकर एक तक के सामान प्रावधान थे। अधिनियम के 2 (एच), अन्य राज्यों के बिक्री कर कानूनों में। इसलिऐ हमने सभी राज्यों के महाधिवक्ता को नोटिस देने का फैसला किया। भारत के अटाॅर्नी-जनरल कसेनोटिस देने का भी निर्णय लिया गया, विशेष रूप से इस न्यायालय द्वारा पहले के दो मामलों,अर्थात बिक्री कर अधिकारी बनाम मैसर्स बुद्व प्रकाश जय प्रकाश

(1),और मद्रास राज्य बनाम केनन डंकर्ले एंड कंपनी में अपनाए गए दृष्टिकोण के कारण। गैनन डंकर्ले एंड कम्पनी (2),को गलत बताया जा रहा था। नोटिस दिए जाने के बाद अपीलों पर अंततः 29 सितम्बर 1964 और उसके बाद की तारीखें पर सुनवाई की गई।

पहला प्रश्न जो हमारे सामने उठाया गया है वह यह है कि वर्तमान मामलें में मोटर डीलर द्वारा वाहन के इच्छुक खरीदार को वास्तव में एक

बिक्री की गई थी और अपीलकार्ता ऐसे व्यक्ति का मात्र वित्तपोषण एजेंट था और उच्च न्यायालय में थ यह मानने में त्रुटि हुई कि दो बिक्री हुई थी, एक डीलर द्वारा अपीलकर्ता को और दूसरी अपीलकर्ता द्वारा उस व्यक्ति को, जो वाहन खरीदने का इरादा रखता था। हमारी राय है कि इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है। यह किराया .खरीद समझौते की विभिन्न शर्ताे पर विचार करने से स्पष्ट हो जाएगा, जिनका सारांश हम पहले ही उपर दे चुके हैं। उस समझौते से पता चलता है कि वाहन की पूरी कीमत अपीलकत्र्ता द्वारा डीलर को भुगतान की जाती है। यहां तक कि जहां कीमत का एक हिस्सा इच्छुक खरीदार द्वारा भुगतान किया जाता है भुगतान को पहले महीने के किराये के रूप में दिखाया जाता है और अपीलकत्र्ता को दिया जात है । जहां तक डीलर का सवाल है तो पूरी कीमत का भुगतान अपीलकत्र्ता द्वारा किया जाता है। समझौते से यह भी पता चलता है कि अपीलकत्र्ता वाहन का मालिक है और इच्छुक खरीदार केवल उसका भाडे पर लेने वाला हैं वाहन को अपीलकत्र्ता के नाम पर पंजीकृत किया जाना चाहिए, हालांकि किसी एक या दूसरे नाम पर पंजीकरण का तथ्य वाहन के स्वामित्व का निर्धारक नहीं हो सकता है। समझौते के खण्ड 14 और 15 स्पष्ट रूप से दर्शाते है कि किराया खरीद समझौते के समय डीलर द्वारा वाहन के इच्छुक खरीदार को कोई बिक्री नहीं की गई थी। ये धाराएं अपीलकत्र्ता को वाहन का कब्जा वालस लेने और

समझौते का निर्धारण करने की शक्ति देती है।अब यदि वाहन में संपत्ति किराया-खरीद समझौते के समय इच्छुक क्रेता को देदी गई होती तो अपीलकत्र्ता के लिऐ वाहन पर कब्जा लेने या बकाया भुगतान पर जोर देने या हर चीज का हकदार बनने का अधिकार नहीं होता। जिसका भुगतान उस दिन तक कर दिया गया था। कानून के तहत अपीलकत्र्ता को केवल मुकदमा दयार करके और फिर वाहन को कुर्क करके बेचकर दिए गए ़ऋण की वसूली करने का अध्किार होता। इसलिए ये दो खंड इस तथ्य का स्पष्ट संकेत हैं कि डीलर द्वारा उस व्यक्ति को कोई बिक्री नहीं की गई थी जो किराया-खरीद समझौते के समय वाहन खरीदाना चाहता था, और उस समय बिक्री डीलर द्वारा की गई थी अपीलकत्र्ता फिर खंड 20 और 21 इस निष्कर्ष को लागू करते हैं क्योंकि वे उस व्यक्ति को एक विकल्प देते हैं जो वाहन खरीदना चाहता हैं, वह उल्लिखित शर्तोके तहत अपने विकल्प का उपयोग करके ऐसा कर सकता है

(1) (1955) 1 एससीआर 243

(2) (1959) एससीआर 379

उसमें,

यदि समझौता होने पर वह पहले से ही मालिक बन गया होता, तो

इन दो खंडों को समझौते में शामिल नहीं किया जा सकता था। फिर पुनः सी. एल. 23 यह स्पष्ट करता है कि जब तक होता, तो इन दो खंडों को समझौते में शामिल नहीं किया जा सकता था। फिर पुनः सी.एल. 23 यह स्पष्ट करता है कि जब तक विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता तब तक वाहन अपीलकत्र्ता की पूर्ण संपत्ति बना रहता है और इच्छुक खरीदार के पास किराए पर लेने वाले के अलावा कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि इस प्रकार के मामलों में दो बिक्री होती हैं, एक डीलर द्वारा फाइनेंसर को (अर्थात,इस मामले मे अपीलकर्ता) और दूसरी फाइनेंसर द्वारा (अर्थात,अपीलकर्ता) उस व्यक्ति को जो वाहन खरीदाना चाहता था, चूॅंकि अधिनियम में प्रासंगिक समय पर एक बहु-बिंदु बिक्री कर लगाया गया था, यह राज्य के लिए बिक्री दोनों पर कर लगाने के लिऐ खुला था और यह तथ्य कि डीलर द्वारा अपीलकत्र्ता को की गई बिक्री पर कर लगाया गया था, दूसरी बिक्री के दायित्व को प्रभावित करेगा। उस व्यक्ति के लिए फाइनेंसर जो वाहन खरीदना चाहता था। उस दायित्व की सीमा क्या है और वह कर कब लगाया जाना हैं, इस पर अपीलकत्र्ता की ओर से आग्रह किए गए दूसरे विवाद के संबंध में हमारे द्वारा विचार किया जाएगा

यह हमें स्पष्टीकरण 1 की वैधता पर विचार करने के लिए लाता हैं,

जिसे हम पहले ही निर्धारित कर चुके है। इस संबंध में यह आवश्यक है कि एक विशिष्ट किराया खरीद समझौते की प्रकृति को उस बिक्री से अलग समझा जाए जिसमें कीमत का भुगतान में बाद में किस्तों द्वारा किया जाना है। बिक्री के मामले में जिसमें कीमत का भुगतान किश्तों में किया जाना हैं, सम्पति बिक्री होते ही खत्म हो जाती है।, भले ही कीमत का पूरा भुगतान नहीं किया गया हो और बाद में किश्तों में भुगतान किया जा सकता है। यह एस में ब्रिकी की परिभाषा से अनुसरण करता है 4 भारतीय माल बिक्री अधिनियम (जैसा कि बेचने के समझौते से अलग है) के तहत यह आवश्यक है कि विक्रेता माल में मौजूद सम्पत्ति को कीमत के बदले खरीदार को हस्तांतरित कर दे। बिक्री का सार यह है कि संपत्ति विक्रेता से खरीदार को कीमत के लिऐ हस्तांतरित की जाती है, चाहे एक बाद भुगतान किया जाए या बाद में किश्तों में भुगतान किया जसए, दूसरी ओर एक किराया खरीद समझौते, जैसा कि इसके नाम से दूसरी ओर, एक किराया खरीद समझौते, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, के दो पहलू हैं, सबसे पहले किराया खरीद समझौते के अधीन माल की जमानत का एक पहलू हैं। और उसके बाद बिक्री का एक तत्व है जो तब फलीभूत होता है जब खरीद का विकल्प, जो आम तौर पर किराया खरीद समझौते की एक शर्त है, इच्छुक खरीदार द्वारा प्रयोग किया जता है। इस प्रकार इच्छुक खरीदार को किराएदार के रूप में जाना जता है, जब तक कि खरीद के

विकल्प को प्रयोग नहीं किया जाता है, और उचित रूप से तथाकथित किराया खरीद समझौते का सार यह है कि माल में संपत्ति समझौते के समय अन्तरित नहीं होती है, बल्कि बनी रहती है। इच्छुक विक्रेता, और बाद में केवल तभी पास होता है जब इच्छुक क्रेता द्वारा विकल्प का प्रयोग किया जाता है, इसलिए एक विशिष्ट किराया खरीद समझौते की विशिष्ट विशेषता यह है कि सम्पत्ति तब पारित नहीं होती जब समझौता किया जाता है, बल्कि केवल तमी पाारित होती है जब समझौते की सभी शर्तो का पालन करने के बाद विकल्प पी./65-9 का अंतिम रूप से प्रयोग किया जाता है।

स्पष्टीकरण 1 विशेष रूप से किरया खरीद समझौतों की इस विशेषता को सामने लाता है। यह प्रदान करता है कि किराया खरीद या भुगतान की अन्य किस्त प्रणाली पर माल का हस्तांतरण (जो संभवतः किराया खरीद समझौते के समान प्रकार का है) को ब्रिकी माना जाएगा, भले ही माल में सम्पत्ति पास न हो इच्छुक क्रेता और इच्छुक विक्रेता में बना रहता हैं स्पष्टीकरण " बिक्री मानी गई" शब्दों का उपयोग करके यह पहचानता है कि किराया खरीद समझौते के समय सम्पत्ति का कोई हस्तांतरण नहीं हुआ हैं, लेकिन एक कल्पना द्वारा प्रदान किया गया हैं कि सम्पत्ति को शर्तो के बावजूद पारित माना जाएगा समझौता। यह समझौता किराया खरीद

समझौता होने पर तुरंत स्पष्टीकरण के तहत होता है।

अपीलकर्ता की ओर से तर्क यह है कि राज्य विधायिका संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 11 की प्रविष्टि 54 में प्रयुक्त '' माल की बिक्री शब्दों के अर्थ का विस्तार करने में समक्ष नहीं थी, जो कि प्रविष्टि 48 से मेल खाती है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रांतीय सूची, ओर कुछ ऐसी बिक्री नहीं है। यह स्पष्ट है कि यदि स्पष्टीकरण अच्छा है, तो वर्तमान मामले में दूसरी बिक्री यह मानी जानी चाहिए कि किराया खरीद समझौता किए जाने के समय ही हुई थी। दूसरी ओर, यदि स्पष्टीकरण राज्य विधायिका की क्षमता से परे है और गिरता है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि बिक्री तब हुई थी। जब किराया खरीद समझौता किया गया था और यह केवल तभी हो सकता है जब सभी शर्तो के बाद विकल्प का प्रयोग किया जाता है। समझौते संतुष्ट हो गए हैं,

इस न्यायालय को सेल्स टैक्स आफिसर बनाम मेसर्स बुद्व प्रकाश जय प्रकाश (1) मामले में भारत सरकार अधिनियम,1935 की सातवीं अनुसूची की सूची 11 की प्रविष्टि 48 की व्याख्या से निपटने का अवसर मिला था। यह माना गया कि प्रश्न में प्रविष्टि 48 ने प्रांतीय विधायिका का केवल तभी कर लगाने की शक्ति प्रदान की है जब पूरी बिक्री हुई हो, न कि तब जब केवल बेचने का समझौता हुआ हो। यह बताया गया कि बिक्री

और बिक्री के समझौते के बीच एक अच्छी तरह से परिभाषित और अच्छी तरह से स्थापित अंतर था। नतीजतन, एस में परिभाषा 1948 के यूपी बिक्री कर अधिनियम, संख्या गअ के 2 (एच), 'बिक्री ' शब्द का अर्थ बढाना ताकि आगे के अनुबंधों को शामिल किया जा सके, उस हद तक अधिकारातीत घोषित किया गया था। वह मामला अग्रिम अनुबंधों से संबंधित था, लेकिन यह बिक्री और बिक्री के समझौते के बीच अंतर को सामने लाता है

(1955)1 एससीआर 243

और यह माना गया कि राज्य विधायिका के पास संबंधित प्रविष्टि(1) के तहत कोई शक्ति नही थी। भारत सरकार अधिनियम में बिक्री की परिभाषा का विस्तार करने के लिए ताकि बेचने के लिए एक समझौते को शामिल किया जा सके।

गैगन डनकार्ले (1) मामले में मामला इस न्यायालय के समझा फिर से आया और यह माना गया कि अभिव्यक्ति ' माल की बिक्री उस से आया और यह माना गया कि अभिव्यक्ति 'माल की बिक्री उस समय थी जब भारत सरकार अधिनियम को अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त कानूनी आयात

का एक शब्द बनाया गया थ। माल की बिक्री से संबंधित सामान्य कानून और उस विषय से संबंधित विधायी अभ्यास में और सातवीं अनुसूची की सूची 11 में प्रविष्टि 48 में माल की बिक्री अधिनियम के समान अर्थ के रूप में व्याख्या की जानी चाहिए। सूची 111 की प्रविष्टि 54 संविधान की सातवीं अनुसूची में उन्हीं शब्दों का उपयोग किया गया है (अर्थात, माल की बिक्री पर कर) जैसा कि भारत सरकार अधिनियम की सातवीं अनुसूची की सूची एच की प्रविष्टि 48 में है और इसलिए शब्दों का वहीं अर्थ होना चाहिए जैसा कि इन दो मामलों में बताया गया है।

हालांकि प्रतिवादी के विद्वान वकील का आग्रह है कि गैनन डंकरले (1) मामले में इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। हमने इस तर्क पर ईमानदारी से विचार किया है और हमारी राय है कि यह विचार इतने वर्षो तक कायम रहा है और बाद के मामलों में स्वीकार कर लिया गया है, इस पर पुनर्विचार के लिए कोई मामला नहीं बनता है। इस संबंध में हमारा ध्यान संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 92-ए की ओर आकर्षित हुआ, जो माल की बिक्री पर करों को संदर्भित करता हैं जहां ऐसी बिक्री अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती हैं और प्रावधानों के लिए केंन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की संख्या 74, जहां'   '   '

का हस्तांतरण या किस्तों द्वारा भुगतान की अन्य प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है। यह आग्रह किया जाता है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के तहत 'बिक्री की यह परिभाषा दर्शाती है कि प्रविष्टि 92-ए में प्रयुक्त 'माल की बिक्री शब्द का व्यापक अर्थ है। हमारी राय है कि इस तर्क में कोई दम नहीं हैं, क्योंकि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया था और इसकी वैधता पर न केवल संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 92-ए के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए, बल्कि कला के संदर्भ में भी। संविधाान के 248(2) को संविधान की सातवीं अनूसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 07 के जाना चाहिए, बल्कि कला के संदर्भ में भी। संविधान के 248 (2) को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 97 के साथ पढा जाता है। तथ्य यह है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम में 'बिक्री की परिभाषा में स्पष्टीकरण 1 में निहित शब्द शामिल हैं, इसलिए 'मात्र की बिक्री शब्दों के अर्थ को समझने में कोई ममद नहीं मिलती हैं, जिन्हें गैनन में इस न्यायालय द्वारा आधिकारिक तौर पर सुनाया गया हैं बुद्व प्रकाश (2)मामले के बाद डनकेरेली (1)का मामला। इसलिए यह स्पष्ट है कि राज्य विधायिका जब भारत सरकार अधिनियम 1935 की सातवीं अनुसूची की सूची 11 की प्रविष्टि 48 के तहत या सूची की प्रविष्टि 54 के तहत कानून बनाने के लिए आगे बढती है। s ---------------------------------- (1) 1959 एमसीआर

379। (2) (1955)1 एमसीआर 243।

सातवीं अनुसूची के एच संविधान, केवल माल की ब्रिकी अधिनियम में परिभाषित उस शब्द के अर्थ के भीतर ही बिक्री पर कर लगा सकता है। माल की बिक्री की अधिनियम के तहत बिक्री का सार यह है कि सशर्त बिक्री के मामले को छोडकर जब बिक्री का अनुबंध किया जाता है तो संपत्ति विक्रेता से खरीदार के पास चली जानी चाहिए। किराया खरीद समझौते सशर्त बिक्री नहीं हैं। इसलिए राज्य विधायिका द्वारा कोई कानून ऐसा कोई समझौता या लेनदेन करता है जिसमें सम्पत्ति विक्रेता से खरीदार तक बिक्री के लिऐ नहीं जाती है, इसलिए विधायी क्षमता से परे होगा। स्पष्टीकरण 1 यह निर्धारित करता है कि किराया खरीद समझौते को इस तथ्य के बावतूद बिक्री मना जाएगा कि संपत्ति ऐसे समझौते के समय विक्रेता से खरीदार तक नहीं जाती है। इसलिए स्पष्टीकरण 1 जैसा है वह राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता से परे हैं। हालांकि यह आग्रह किया जाता है कि जब विकल्प का प्रयोग किया जाता है और किराया खरीद समझौते की अन्य शर्ते पूरी हो जाती है तो संपत्ति अंततः विक्रेता से खरीदार को केवल उन मामलों तक ही सीमित माना जाना चाहिए जहां सम्पत्ति अंततः विक्रेता से खरीदार के पास जाती हैं। जाना चाहिए जहां संपत्ति अततः विक्रेता से खरीदार के पास जाती हैं विक्रेता से खरीदार तक

हमारी राय है कि इस तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्यांेकि स्पष्टीकरण का इरादा स्पष्ट रूप से यह प्रदान करना है कि किराया खरीद समझौते को इसके बनने की तारीख पर तुरन्त बिक्री माना जाएगा,भले ही सम्पत्ति विक्रेता से पारित न हुई हांे। उस दिन खरीदार को, यदि यह स्पष्टीकरण 1 का वास्तविक उदेश्य और इरादा नहीं होता, तो इसका अधिनियमन धारा के तहत 'बिक्री ' की मुख्य परिभाषा के लिए पूरी तरह से अनावश्यक होता। 2 (एच) उस समय किराया खरीद समझौते पर लागू होगा जब विकल्प के इस्तेमाल पर और समझौते की अन्य शर्तो के पूरा होने पर संपत्ति विक्रेता से खरीदार के पास चली जाती हैं। इसलिए हम उच्च न्यायालय से सहमत नहीं हो सकते हैं कि स्पष्टीकरण केवल उन मामलों तक ही सीमित होना चाहिए जहां संपत्ति अंततः पारित हो जाती हैं, स्पष्टीकरण को लागू करने में विधायिका का स्पष्ट इरादा यह प्रदान करना था कि किराया खरीद समझौते को बिक्री माना जाएगा। उसी तारीख को जिस दिन इसे बनाया गया हैं, भले ही उस तारीख को कोई भी सम्पत्ति विक्रेता से खरीदार के पास नहीं जाती हैं मामले के इस दृष्टिकोण में स्पष्टीकरण 1 के उद्देश्य, इरादे और व्याख्या को ध्यान में रखते हुए यह माना जाना चाहिए कि यह राज्य विधायिका की क्षमता से परे हैं इसलिए इसे अमान्य माना जाना चाहिए और तदनुसार रदद कर दिया जाना चाहिए।

अगला सवाल यह उठता है कि क्या किराया खरीद समझौता कभी बिक्री में तब्दील होता है और यदि हां तो कब हम पहले ही बता चुके हैं कि किराया खरीद समझौते में दो तत्व होते हैंः (प) जमानत का तत्व, और (पप)बिक्री का तत्व, इस अर्थ में कि यह अंतिम बिक्री पर विचार करता है। बिक्री का तत्व तब फलीभूत होता है जब इच्छुक क्रेता द्वारा विकल्प को पूरा करने के बाद

उसका प्रयोग किया जाता है समझौते की शर्ते जब समझौते की सभी शर्ते पूरी हो जाती है और विकल्प का प्रयोग किया जाता है तो उस सामान की बिक्री होती है जो तब तक किराए पर लिया गया था। जब यह बिक्री होती है तो यह अधिनियम के तहत कर योग्य घटना के लिए क्रेता की असमर्थता के कारण विकल्प का प्रयोग नहीं किया जता है या प्रयोग नही किया जा सकता हैं, वहां कोई बिक्री नहीं होती हैं चूंकि कर योग्य घटना माल की बिक्री है, कर केवल तभी लगाया जा सकता है जब किराया खरीद समझौते की सभी शर्तो को पूरा करने के बाद विकल्प का प्रयोग किया जाता है।हम उच्च न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत नहीं हो सकते हैं कि क्योंकि ऐसे अधिकांश मामलों में विकल्प का प्रयोग किया जताा हैं, किराया खरीद समझौते के निर्माण पर तुरंत कर लगाया जाता है और कुछ मामलों में जहां शर्तो को पूरा करने में विफलता होती हैं समझौते या

विकल्प का प्रयोग करने के लिए, टर्नओवर के ऐसे हिस्से को समाप्त करके समायोजन किया जात सकता हैं जैसा कि हमने बताया है कि अधिानियम के तहत कर योग्य घटना माल की बिक्री हैं और जब तक वह कर योग्य घटना नहीं होती है तब तक वह कर योग्य घटना नहीं होती है तब तक कर का भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं हो सकता है। इसलिए, भले ही अंततः किराया खरीद के अधिकांश मामलों में विकल्प के प्रयोग और समझौते की शर्तो की पूर्ति के कारण बिक्री हो सकती है, लेकिन जिस समय किराया खरीद समझौता किया जाता हैं, उस समय कर योग्य नहीं होता हैख् क्योंकि उस समय कर योग्य घटना नहीं हुई हैंःयह केवल तभी पात्र हो सकता है जब विकल्प का प्रयोग किया गया हो और समझौते की सभी शर्ते पूरी की गई हो और बिक्री वास्तव में हुई हो। किसी विशेष मामले में बिक्री कब होगी यह किराया खरीद समझौते की शर्तो पर निर्भर करेगा लेकिर जब तक बिक्री नहीं होती तब तक अधिनियम के तहत बिक्री कर का कोई दायित्व नहीं हो सकता है। इसलिए उच्च न्यायालय यह मानने में गलती कर रहा था कि जिस प्रकार की किराया खरीद के साथ हम काम कर रहे हैंः उसके मुख्य इरादे और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लेनदेन को समझौते में प्रवेश के समय बिक्री के रूप में माना जा सकता हैंः जिस प्रकार के साथ हम सौदा कर रहे है। उसके सभी किराया खरीद समझौतों में बिक्री केवल तब होती है जब समझौते की सभी शर्तो को पूरा

करने के बाद विकल्प का प्रयोग किया जाता है और उस समय कर योग्य होता है।

यह हमें अंतिम प्रश्न पर लाता है, अर्थात, बिक्री मूल्य की मात्रा क्या है जो प्रश्न पर लाता है, अर्थात, बिक्री मूल्य की मात्रा क्या है जो अधिनियम के तहत कराधान का आधार है। इस संबंध में अपीलकत्र्ता की ओर से तर्क यह है कि जिन विशेष मामलों से हम चिंतित है, उनमें बिक्री मूल्य केवल एक रूपये हैं। 1/- जो किराये पर लेने वाले को भुगतान करना होगा जब वह खरीदारी के विकल्प का उपयोग करेगा दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से तर्क यह है कि बिक्री मूल्य किराएदार द्वारा फाइनेंसर को भुगतान की गई पूरी राशि है और इस पूरी राशि पर कर योग्य है। सही है।

इसका कारण यह है कि रे, ‘ इन मामलों में ए/- किसी वाहन की कीमत नहीं हो सकती, भले ही विकल्प का प्रयोग करने पर वाहन को सेकेंडहैंडमाना जाए, लेकिन 1/- रूपये की राशि इस प्रकार के सेकेंड-हैंड वाहन के लिऐ एक बेतुकी कीमत होगी। जिससे हम चिंतित है। इस संबंध में तर्क यह है कि किराये के रूप में भुगतान की गई पूरी राशि वास्तव में किराये के लिए है और कीमत केवल 1/- रूपये की राशि है जो उस विकल्प के लिए भुगतान की जाती हैं जिसके परिणामस्वरूप अंततः बिक्री होती हैं यह तर्क किराया खरीद समझौतों के सार को नजरअंदाज कर

दिया गया है, जो यह है कि किराये में न केवल वह शामिल है जो वास्तव में किराए के रूप देय होगा बल्कि इसका एक हिस्सा कीमत के लिए भी है। तर्क यह है कि कीमत केवल 1/- रूपये है जिसके लिए भुगतान किया जाता है अतः विकल्प स्वीकार नहीं किया जा सकता।

दूसरी ओर प्रतिवादी की ओर से तर्क दिया गया कि कीमत एक रूपये सहित भाडे के रूप में भुगतान की गई पूरी राशि है 1/- रूपये भुगतान विकल्प भी सही प्रतीत नहीं होता। यह इस तथ्य को नजरअंदाज करता है कि किसी भी दर पर किराए के रूप में भुगतान का एक हिस्सा वास्तव में उस अवधि के लिए वाहन के किराए के लिए है जब किराए पर लेने वाला केवल एक किराएदार होता है। यह इस तथ्य से भी स्पष्ट होगा कि यदि पूरे किराये को कीमत के रूप में माना जाता है, तो परिणाम यह होगा कि जब बिकी होगी तो सेंकड-हैंड वाहन की कीमत नए वाहन की कीमत से अधिक होगी।

यह किराया खरीद समझौते के एक उदाहरण से संबंध में था। तथ्य इस प्रकार थेः अपीलकर्त्ता, एक कोयला कंपनी ने समय समय पर अपनी कोलियरियों से अपने ग्राहकों तक कोयले की ढुलाई केलिए रेल्वे वैगन प्राप्त करने के लिऐ एक वैगन कंपनी के साथ समझौता किया, जिसके तहत एक निश्चित वार्षिक राशि का भुगतान किया गया था। वैगनों की एक निश्चित

संख्या के लिए वर्षो की अवधि। समझौते की शर्तो के अनुसार कोयला कंपनी भुगतान की अवधि के दौरान वैगनों का उपयोग अपने जोखिम पर करती थी और उन्हें मरम्मत के लिए रखने के लिए बाध्य थी, और अवधि के अंत में उसके पास नाममात्र मूल्य पर वैगनों को खरीदने का विकल्प था। प्रत्येक वैगन के लिए एक शिलिंग का। यह देखा जाएगा कि यह समझौता वैगनों के किराया खरीद समझौते की प्रकृति का था। तब सवाल उठा कि क्या इन परिस्थितियों में कोयला कंपनी को मुनाफे में से किसी कटौती की अनुमति दी जा सकती हैं यह मानागया कि समझौतें के तहत वार्षिक भुगतान दो भागों में विभाजित किया गया था, अर्थात, (प) वैगनों के उपयोग के लिऐ भुगतान किया गया प्रतिफल, और (पप) वैगनों को मामूली कीमत पर खरीदने के लिए भविष्य की तारीख में एक विकल्प के लिऐ भुगतान। यह भी माना गया कि जहां तक भुगतान समझौते की अवधि के दौरान वैगनों के उपयोग के लिए प्रतिफल का प्रतिनिधित्व करता हैं, वे आयकर के मूल्याकंन के उद्देश्य से कोयला कंपनी के मुनाफे की गणना में कटौती के रूप में स्वीकार्य थे। यह देखा गया कि यह बिल्कुल स्पष्ट था कि वर्षो की अवधि के दौरान वैगन अभी भी वैगन कंपनी की सम्पत्ति थी, कोयला कंपनी की नहीं, लेकिन कोयला कंपनी इसका उपयोग करना चाहती थी और तदनुसार उसके संबंध में अतिरिक्त भुगतान किया गया था। दोनों प्रकार के भुगतान के बीच कोई भेदभाव किया गया था।

ऐसे मामलों में दो चीजें एक साथ चल रही थीं- कुछ शर्तों के तहत एक बिक्री और खरीद समझौता था, उस समय बिक्री नहीं थी, बल्कि भविष्य की तारीख पर कुछ शर्तों पर बिक्री करने का विकल्प था और दूसरी ओर समवर्ती भी था। उसके साथ एक नियुक्ति समझौता। न्यायालय ने तब देखा कि उसके पास उस नियुक्ति मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं है और शायद यह बेहर होगा कि विधायिका ऐसे मामलों में मार्गदर्शन दे। लेकिन विधायी मार्गदर्शन के अभाव में भी यह बिक्री कर अधिकारियों के लिऐ होगा कि वे जिस दिन विकल्प का प्रयोग किया जाए और सम्पत्ति किराएदार के पास चली जाए, उस दिन वाहन का मूल्य यथासंभव सर्वोतम तरीके से तय करे। इसे करने के दो तरीके हो सकते हैं, बिक्री कर अधिकारी किराये को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात, वाहन के उपयोग के लिए प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई राशि, जब तक कि यह मालिक की सम्पत्ति थी, और खरीदने के लिए भविष्य की तारीख पर विकल्प के लिए भुगतान। मामूली कीमत पर वाहन, समझौता न्यायालयने तब देखा कि उसके पास उस भुगतान को विभाजित करने के लिए कोई सामग्री नहीं थी जो यह दर्शाती हो कि वास्तव में किराया क्या था और

s --------------

s (1) (1913) 7 कर मामले,नं.1

पेज-128

वास्तव में भुगतान क्या था। आईपी 1. अंततः खरीद, अंततः मामले को इस निर्देश के साथ आयुक्तों के पास भेज दिया गया कि वे वैगन समझौतों के संबंध में किए गए वार्षिक भुगतान के ऐसे हिस्से की कटौती की अनुमति देने के लिऐ बाध्य हैेे, जो हमें उन वैगनों को अनुमति देने के लिए भुगतान किए गए विचार का प्रतिनिधित्व करता हैं, जो अनुबंध के तहत अभी तक नहीं थे। कोयला कंपनी की सम्पत्ति और यदि पार्टियां सहमत नहीं है। तो आयुक्तों को उस प्रश्न का निर्णय स्वयं करना होगा। हमारी राय में यह मामला किराया खरीद समझौते में किराये के रूप में किए गए भुगतान की वास्तविक प्रकृति को सामने लाता हैं राशि का एक हिस्सा किराए के लिऐ और कुछ कीमत के भुगतान के लिए है, और यह बिक्री कर अधिकारियों के लिए होगा कि वे उस तारीख को वाहन की कीमत उचित तरीके से निर्धारित करें जिस दिन किराए पर लेने वाला अपने विकल्प का उपयोगकरता है और मालिक बन जाता है। अनुबंध की शर्तोेको पूरा करने के बाद वाहन। यह कैसे किया जाएगा इसके बारे में कोई विधायी मार्गदर्शन उपलब्ध नहीं हैं और शायद यह बेहतर होगा कि विधायिका ऐसे मामलों में मार्गदर्शन दे। लेकिन विधायी मार्गदर्शन के अभाव में भी यह बिक्री कर अधिकारियों के लिए होगा कि वे जिस दिन

विकल्प का प्रयोग किया जाए और सम्पत्ति किराएदार के पास चली जाए, उस दिन वाहन का मूल्य यथासंभव सर्वोतम तरीके से तय करें। इसे करने के दो तरीके हो सकते हैं, बिक्री कर अधिकारी किराये को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं अर्थात, वाहन के उपयोग के लिऐ प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई राशि जब तक कि यह मालिक की सम्पत्ति थी, और खरीदने के लिऐ भविष्य की तारीख पर विकल्प के लिए भुगतान । मामूली कीमत पर वाहन, यदि पहला भाग निर्धारित हो जाता है तो बाकी हिस्सा कीमत के भुगतान के लिऐ होगा। पहले भाग का निर्धारण संबंधित प्रकार के वाहन के लिये बाजार में किराये के रुप में भुगतान की जाने वाली उचित राशि का पता लगाने के बाद किया जा सकता है, या किसी अन्य तरीके से जो बिक्री कर अधिकारियों के लिये उपलब्ध हो सकतास सहै दूसरी विधि यह हो सकती कि किराया खरीद समझौते में तय की गई मूल कीमत ली जाये और मूल्यह्रस और अन्य सभी कारको की गणना की जाए जो किराए पर लेने वाले की दूसरी बिक्री होने पर कीमत पर पहुचाने में प्रासंगिक हो सकते हैं, जिसमें वाहन की स्थिति भी शामिल है। दूसरी बिक्री का समय, इसलिये यह बिक्री कर अधिकारियों पर निर्भर करता कि वह वाहन की कीमत का पता लगाएं, जिस पर कर का भुगतान उनके द्वारा ऊपर बताये गये तरीकों में से किसी एक तरीके से किया जाना है या किसी अन्य तरीके से जासे उचित और उचित हो ।

इसलिये हम आंशिक रुप से अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के आदेश और किये गये आकलन को रद्द कर देते हैं, और निर्देश देते हैं कि बिक्री कर अधिकारी हमने ऊपर जो कहा है कि उसके अनुसार कीमत निर्धारित करेगें और उसके बाद कानून के अनुसार बिक्री कर लगाने के लिये आगे बढेंगें। अपीलकर्ता को इसकी लागत प्रतिवादी से सुनवाई शुल्क का एक सेट प्राप्त होगी।

अपीलें आंशिक रुप से स्वीकार की गई।

नोटः- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्वेता शर्मा तृतीय (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवाहरिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होना और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।